भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1254

उत्तर देने की तारीख : 27.07.2022

नि:शक्त बच्चों के लिए शिक्षा

1254. श्री नीरज डांगी:

क्या *सामाजिक न्याय और अधिकारिता* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नि:शक्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के संबंध में कोई आकलन किया है, यदि हाँ, तो ऐसे बच्चे, जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, उनका राज्य- वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास नि:शक्त या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक हैं; और

(ग) क्या सरकार इन बच्चों को कोई सैटेलाइट आधारित शिक्षा प्रदान कर रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) : स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में कक्षा III, V और VIII, 2018 में कक्षा X और 2021 में कक्षा III, V, VIII और X का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) किया। 2021 में सर्वेक्षण के माध्यम से, सभी 36 राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों में 720 जिलों में सरकारी, सरकारी सहायता- प्राप्त और निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों का आकलन एनसीईआरटी द्वारा तैयार अधिगम परिणाम (लर्निंग आउटकम्स) के आधार पर किया गया था। दिव्यांग बच्चों सहित 34 लाख से अधिक छात्रों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। सर्वेक्षण प्रक्रिया में सभी बच्चों के उचित आकलन में सहायता प्रदान करने के लिए दिव्यांग बच्चों की जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त समय, स्क्राइब (लेखक) और उपयुक्त अनुकूलन जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया था।

(ख) : शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई +) 2019-20 के अनुसार, वर्ष 2019-20 में समावेशी शिक्षा मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिए गए शिक्षकों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय पुनर्वास परिषद के केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर के अनुसार आज की तारीख तक 1,42,357 विशेष प्रशिक्षक पंजीकृत हैं। ऐसे पंजीकृत विशेष प्रशिक्षकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबध-II में दी गई है।

(ग) : स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वयमप्रभा टीवी चैनल, जिसे अब पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल ("वन क्लास वन चैनल" पहल के तहत स्कूली शिक्षा के लिए 12 डीटीएच टीवी चैनल) के रूप में नाम दिया गया है, पर वीडियो विषय-सामग्री, आमतौर पर भाषा / साहित्य विशिष्ट विषय-सामग्री को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध हैं, जहां राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) असम द्वारा यथा शेयर की गई संबंधित असमिया को भी पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनल, अर्थात् कक्षा 6,7,8,9 और 11 पर दिखाया जा रहा है।

3,464 ऑडियो बुक चैप्टर तैयार किए गए हैं और दीक्षा पर अपलोड किए गए हैं और पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों पर प्रसारित करने के लिए भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, समावेशी शिक्षण-कक्षाओं के लिए शिक्षण अधिगम उपाय (टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन)- विशेषज्ञ से पूछें: समावेशी शिक्षा के लिए सरकार के प्रयास के भाग के रूप में लगभग 167.5 घंटों को कवर करने वाले 335 लाइव सत्र भी दिए गए हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 27.07.2022 को उत्तरार्थ नि:शक्त बच्चों की शिक्षा के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा उठाए गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1254 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2019-20 में समावेशी शिक्षा मॉड्यूल पर प्रशिक्षण प्रदान किए गए शिक्षकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	177
2	आंध्र प्रदेश	7502
3	अरुणाचल प्रदेश	317
4	असम	12957
5	बिहार	18013
6	चंडीगढ़	872
7	छत्तीसगढ़	18653
8	दादरा और नगर हवेली	128
9	दमन और दीव	148
10	दिल्ली	10977
11	गोवा	636
12	गुजरात	27034
13	हरियाणा	6145
14	हिमाचल प्रदेश	3437
15	जम्मू और कश्मीर	2409
16	झारखंड	7295
17	कर्नाटक	141207
18	केरल	15109
19	लद्दाख	71
20	लक्षद्वीप	70
21	मध्य प्रदेश	19031
22	महाराष्ट्र	40623
23	मणिपुर	798
24	मेघालय	568
25	मिजोरम	355
26	नागालैंड	410
27	ओडिशा	12598
28	पुदुचेरी	783
29	पंजाब	24738
30	राजस्थान	24876
31	सिक्किम	333
32	तमिलनाडु	185830
33	तेलंगाना	17525
34	त्रिपुरा	669
35	उत्तर प्रदेश	41412
36	उत्तराखंड	2314
37	पश्चिम बंगाल	16924
	भारत	**662944**

स्रोत: यूडीआईएसई+ 2019-20 (सभी प्रबंधन के लिए डेटा)

अनुबंध-II

दिनांक 27.07.2022 को उत्तरार्थ नि:शक्त बच्चों की शिक्षा के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा उठाए गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1254 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

आरसीआई के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) के अनुसार आज तक की तारीख तक पंजीकृत विशेष प्रशिक्षक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिव्यांगजनों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षक	
	व्यावसायिक	कार्मिक
आंध्र प्रदेश	4811	3271
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14	14
अरुणाचल प्रदेश	230	38
असम	163	286
बिहार	1424	2042
चंडीगढ़	174	158
छत्तीसगढ़	521	450
दादरा और नगर हवेली	9	2
दमन और दीव	0	1
दिल्ली	3325	5388
गोवा	301	463
गुजरात	3491	2217
हरियाणा	2688	2560
हिमाचल प्रदेश	495	1167
जम्मू और कश्मीर	195	19
झारखंड	286	832
कर्नाटक	837	1858
केरल	2893	5683
लक्षद्वीप	15	17
मध्य प्रदेश	1910	1411
महाराष्ट्र	7544	10798
मणिपुर	99	344
मेघालय	154	114
मिजोरम	127	24
नागालैंड	6	6
ओडिशा	2812	4867
पांडिचेरी	74	48
पंजाब	1058	901
राजस्थान	3844	9338
सिक्किम	31	14
तमिलनाडु	5732	3035
तेलंगाना	1369	1058
त्रिपुरा	208	96
उत्तर प्रदेश	12329	12928
उत्तराखंड	526	200
पश्चिम बंगाल	6117	4894
कुल	**65812**	**76545**
	142357	

*****